

सञ्चारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/06-योजना-105/2016 - 1056 (S)

दिनांक - 12/03/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,


प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू रांची।

विषय:- पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "पुण्डरीगुट्ट (MDR-125 पर)-भालदा-उड़ीसा बोर्डर पथ (कुल लंबाई- 2.476 कि0मी0) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू0 7,82,51,600/- (रूपये सात करोड़ बयासी लाख एकावन हजार छः सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।

आदेश:- उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 7,82,51,600/- (रूपये सात करोड़ बयासी लाख एकावन हजार छः सौ) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य का मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-6072(S) दिनांक 22.09.2016 द्वारा रू0 3,35,47,400/- (तीन करोड़ पैंतीस लाख सैंतालीस हजार चार सौ रू0) हेतु प्रदत्त है।
3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष- 01-वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- 45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय सीमा के अधीन विकलनीय होगा।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, चाईबासा होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, चाईबासा से की जायेगी।
5. इस कार्य को निम्न संशोधित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य
2024-25 तक व्यय	रू0 329.07667 लाख
2025-26	रू0 453.43933 लाख
6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


12/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-105/2016 - 1056(5) दिनांक- 12/03/2026
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जाँच सुनिश्चित कर ली जायेगी।
5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R. Usman
12/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-105/2016 - 1056(5) दिनांक- 12/03/2026
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अन्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Usman
12/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-105/2016 - 1056(5) दिनांक- 12/03/2026
प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Usman
12/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-105/2016 - 1056(5) दिनांक- 12/03/2026
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

R. Usman
12/03/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।